चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 28.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 29.01.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 108/2020 धारा 498ए भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सुनीलदत्त गर्ग पुत्र संगम निवासी रैपुरवा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 7000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है दिनांक 21.08.2020 वादी श्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी पुत्र शिवमूरत त्रिपाठी निवासी ग्राम लुहरा थाना कमासिन जनपद बांदा थाना पहाड़ी में सूचना दी थी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री वैष्णवी देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना मांग पूरी न करने पर फांसी लगाकर जान से मार डालना। सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 108/2020 धारा 498ए,304(B),302/34 भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश द्वारा संपादित की गयी। अभियुक्तों को दिनाँक 27.08.2020 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 27.10.2020 को अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(6). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय द्वारा एन0डी0पी0एस0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज(सी0डि0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 05/2003 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद पुत्र केशन यादव निवासी परसेटा सिंहपुर माफी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट जेल में बिताई गयी अवधि व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 09.01.2003 को उ0नि0 श्री अनन्त राम मुकेश तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद उपरोक्त को 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 05/2003 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना पहाड़ी में नियुक्त उ0नि0 श्री साधु राम यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 23.01.2003 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(7). आज दिनांक 29.01.2025 को महाकुंभ 2025 व मौनी अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार द्वारा रामघाट पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया साथ ही ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण की चेकिंग की गयी तथा श्रद्धालुओं के साथ विन्रमतापूर्वक व्यवहार करने हेतु बताया गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज(सी0डि0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 544/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त कोचिल पुत्र गनेश निवासी मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 05 माह का कारावास 2500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 28.08.2024 को उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कोचिल पुत्र गनेश निवासी मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 850 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में 544/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी एवं दिनाँक 11.10.2024 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में आज दिनाँक 29.01.2025 को शनि शिला मंदिर में ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षी अंजनी देवी, महिला आरक्षी नरगिस बानो, आरक्षी अभिषेक यादव को एक महिला द्वारा बताया गया कि मेरा पर्स कही पर खो गया है तत्काल महिला को साथ ले जाकर पता किया गया तथा उपस्थित महिला आरक्षियों/आरक्षी द्वारा खोज बीन किया गया तो एक पर्स शनि शिला मंदिर के कोने में पडा हुआ मिला। खोलकर देखा गया तो उसमें 5000/- रूपये पड़े है, जिसे देखकर महिला पहचान गयी तथा अपना खोया पर्स पाकर महिला खुश हो गयी। इस पर महिला द्वारा चित्रकूट पुलिस का धन्यवाद किया।